संख्या 26012/6/87-स्था0(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अधिवर्षिता की आयु के बाद कार्यकाल में वृद्धि/पुनर्नियोजन प्रदान करने के बारे में स्पष्टीकरण ।

मुझे इस विभाग के दिनांक 18 मई, 1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 26011/1/77-स्थापना(ख) में दिए गए अनुदेशों की ओर वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अधिवर्षिता की आयु के बाद सेवा में वृद्धि/पुनर्नियोजन का आश्रय अत्यन्त विरल रूप में और सर्वथा लोकहित जैसे आपवादिक मामलों में प्रदान किया जाना चाहिए । चूंकि कार्यकाल में वृद्धि/पुनर्नियोजन इस अभिव्यक्ति से यह अर्थ आभासित होता है कि "कार्यकाल में वृद्धि तथा पुनर्नियोजन" का प्रयोग पर्यायवाची ढंग से किया जा सकता है अत: ऐसे मामलों में भेद करने की आवश्यकता महसूस की गई जिनमें किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाओं को अधिवर्षिता की आयु के बाद बनाए रखने को "सेवा में वृद्धि" अथवा "पुनर्नियोजन" समझा जाएगा ।

2. भारत सरकार द्वारा इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है तथा निम्न निर्णय लिया गया है :-

(i) जहां किसी सरकारी कर्मचारी की अधिवर्षिता की आयु के बाद उसकी सेवाओं की उसी संवर्ग में आवश्यकता पड़ती है जिसमें वह अधिवर्षिता के समय कार्यरत था तो उसे सेवा में इस प्रकार बनाए रखने को "सेवा में वृद्धि" समझा जाएगा

(ii) किसी सरकारी कर्मचारी की अधिवर्षिता की साधारण आयु के बाद उसे मूल संवर्ग में जिस पद पर वह अधिवर्षिता के समय कार्यरत था उस पद से भिन्न किसी अन्य पद पर बनाए रखने

.....2/-

के प्रस्ताव का दृढ़ता से विरोध किया जाना चाहिए । तथापि, यदि उसे सेवा में इस प्रकार बनाए रखने को आपवादिक कारणों से, अपरिहार्य समझा जाता है, तो उसे "पुनर्नियोजन" समझा जाएगा ; और

(iii) जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझे कि ऐसे सरकारी कर्मचारी की सेवाएं जो कि किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त पर है अथवा किसी संवर्ग बाह्य पद को धारण किए हुए है, उसकी अधिवर्षिता की आयु के बाद उसे उसकी मूल सेवा में बनाए रखा जाए तो उसे सरकारी सेवा में इस प्रकार बनाए रखने को चाहे उसे ऐसे पद पर रखा जाए जिसे वह अधिवर्षिता के समय धारण किए हुए था अथवा किसी अन्य पद पर रखा जाए सभी प्रयोजनों के लिए "पुनर्नियोजन" माना जाएगा ।

जिन मामलों में सरकारी कर्मचारियों की सेवा उनकी अधिवर्षिता की आयु के बाद लोकहित से इतर कारणों से रखी जानी हो अथवा जहां ऐसे प्रस्ताव उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित मानदण्डों/शर्तों की पूर्ति न करते हों, ऐसा मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ भेजा जाएगा कि वह विभाग इस बात का सुस्पष्ट निर्णय दे कि इस प्रकार सेवा में बनाए रखने को किस प्रकार विनियमित किया जाएगा ।

3. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों को सभी संबंधितों की जानकारी में लाए ।

एस० के० पार्थसारथि

(एस० के० पार्थसारथि)
संयुक्त सचिव (ई)

सेवा में,

मानक सूची के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय ।

-:0:-